न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.39/अपील/2021 (GCMS No. 2021/67)	30.03.2021	01.04.2025

रायचन्द पुत्र कल्याण जाति माली,
निवासी ग्राम धनातरी, तहसील व जिला बून्दी।

– अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी

– रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलांट की ओर से श्री रघुवीर सिंह राणावत, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा मिसल संख्या 47/89 में पारित आदेश दिनांक 16.11.1996 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। जिसमें अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश को विधिविरूद्ध बताते हुये निरस्त किये एवं आवंटन बहाल किया जाकर भूमि अपीलांट की खातेदारी में दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 39/2021 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2021/67 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो. जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। तह0 बून्दी द्वारा पत्र दिनांक 17.12.24 से वांछित पत्रावली वर्तमान में तहसील कार्यालय में उपलब्ध नहीं होना अवगत कराया है।

तत्पश्चात् बहस उभय पक्षकारान् सुनी गयी।

जिला कलक्टर, बून्दी

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा सं. 92/5 रकबा 18 बिस्वा एवं ख.सं. 93/5 रकबा 3 बीघा, जिसके नये ख.सं. 480/92 एवं 485/93 किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा वाकेग्राम धनातरी तहसील व जिला बून्दी दिनांक 17.05.1989 को आवंटन परामर्शदात्री समिति मुकाम बरूंधन ने अपीलांट को नियमानुसार मय पट्टा फीस कीमतन 2915/– रू. रसीद सं. 0038 दिनांक 17.05.89 से आवंटन करके कब्जा संभला दिया था। आवंटित भूमि जर्ये नामान्तरकरण सं. 164 दिनांक 18.05.89 से अपीलांट की गैर खातेदारी में अंकित कर दी गयी थी। भूमि पर कब्जा संभलाने के बाद अपीलांट ने काफी धन व परिश्रम से उबड खाबड भूमि को काबिल काश्त बनाया और जीवनपर्यन्त आवंटी स्वयं एवं आधोली से निरन्तर आज तक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। संवत 2076–77 एक वर्ष के लिए अपीलांट ने काश्त हेतु बजरंगलाल आ.बसन्ता गुर्जर को आधोली पर जुताई है। अपीलांट ने आवंटित भूमि को गैर खातेदारी से खातेदारी में अंकित किए जाने हेतु दिनांक 11.11.2020 को तहसीलदार बून्दी के यहां आवेदन पत्र पेश किया, जिसके संबंध में हल्का पटवारी धनातरी द्वारा तैयार मौका पर्चा दिनांक 20.11.2020 से जानकारी हुयी कि आवंटित भूमि की गैर खातेदारी अपीलांट को बिना सुने मनमाने तरीके से दिनांक 16.11.96 को समाप्त कर दी गयी है तथा आवंटित भूमि जर्ये नामा. सं. 254 दिनांक 06.06.97 से सिवायचक दर्ज कर दी गई। अपीलांट को आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त किये जाने के आदेश दिनांक 16.11.1996 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.11.2020 को 31–32 वर्ष बाद होने पर आवंटन आदेश एवं आवंटन निरस्ती आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु 11.02.2021 को तहसीलदार बून्दी के यहां आवेदन पत्र पेश किया जिसे आवंटन पत्रावली नहीं मिलने के कारण दिनांक 11.02.2021 को खारिज कर दिया गया। इसी प्रकार आवंटन आदेश एवं आवंटन निरस्ती आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु उपखण्ड अधिकारी बून्दी के यहा दिनांक 11.01.2021 को आवेदन पत्र पेश किया, जो रेकार्ड जमा नहीं होने से दिनांक 29.01.2021 को खारिज कर दिया गया। अपीलांट को भूमि आवंटन को निरस्त करने से पूर्व सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया और न ही आवंटन निरस्ती का कोई कारण बताया गया। इस प्रकार आवंटन निरस्ती दिनांक 16.11.1996 से जानकारी दिनांक 20.11.2020 एवं आवश्यक प्रतिलिपियां प्राप्त करने में लगे समय दिनांक 21.02.2021 तक को कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर अवधि पेश की गई। समयावधि कन्डोन किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र अपील के साथ में पेश किया है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय आदेश दिनांक 16.11.1996 निरस्त किये जाने एवं आवंटन बहाल किया जाकर अपीलांट की खातेदारी में दर्ज करने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.11.1996 की जानकारी दिनांक 20.11.2020 को होना प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया है। अपीलांट द्वारा खातेदारी दिये जाने हेतु तहसीलदार बून्दी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 11.11.2020 के संदर्भ में हल्का पटवारी एवं ग्रामवासियों की मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 20.11.2020 में उक्त आराजी आज दिनांक सिवायचक भूमि होना एवं उस पर बजरंगलाल आ. बसन्ता गूजर का कब्जा होकर काश्त करता आ रहा होना तथा पी–14 समय समय पर दर्ज कर वसूली किया जाना अंकित किया है। अपीलांट द्वारा अपनी गैर खातेदारी की उक्त आराजी पर खातेदारी प्राप्त करने हेतु दिनांक 11.11.20 से पूर्व 24 वर्षो तक कोई कार्यवाही की गई हो, ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। सिवायचक दर्ज हो जाने के बाद गैर खातेदार को उक्त जमीन के राजस्व रेकार्ड की वर्षो तक जानकारी नहीं रही हो, यह कथन एक किसान के बारे में विश्वसनीय नहीं है। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी पहले से ही रही है। इसके बावजूद उक्त आदेश के विरूद्ध नियमों में निर्धारित समयसीमा में अपील पेश नहीं की जाकर 24 वर्षो के विलम्ब से पेश की गई है। जिससे अपील मियाद बाहर होने से बिना मेरिट पर सुने मियाद के बिन्दू पर ही खारिज की जावे।

पेरोकार सरकार ने आगे गुणावगुण पर बहस करते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि तहसीलदार बून्दी द्वारा मिसल सं.47/89 में क्रमांक 515/उप./96 दिनांक 16.11.1996 से आदेश पारित किया जाकर भूमि खसरा सं.92/5 एवं 93/5 पर रायचन्द की गैर खातेदारी समाप्त की जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की गई है। धारा 140 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज प्रविष्टियों को जब तक रेकार्ड के आधार पर प्रतिकूल साबित नहीं किया जाता तब तक उसके सही होने की उपधारणा की जाती है। वर्तमान में उक्त पत्रावली तहसील कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने मात्र से ही उक्त आदेश विधिविरूद्ध साबित नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 254 दिनांक 06.06.1997 की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिसल सं. 47/89 में क्रमांक 515/उप./96 दिनांक 16.11.1996 से आदेश पारित किया जाकर भूमि खसरा सं. 92/5 रकबा 18 बिस्वा एवं ख.सं. 93/5 रकबा 3 बीघा पर रायचन्द आ. कल्याण जाति माली की गैर खातेदारी समाप्त की जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की गई है। हल्का पटवारी एवं ग्रामवासियान के मौका पर्चा दिनांक 20.11.2020 के अनुसार उक्त भूमि के वर्तमान खसरा नं.480/92 एवं 485/93 किस्म सिवायचक दर्ज रेकार्ड है जिस पर बजरंगलाल आ. बसन्ता कौम गुर्जर नि.धनातरी का कब्जा काश्त होने से पी–14 समय समय पर दर्ज कर वसूली किया जाना अंकित है।

अपील का परीक्षण का सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.11.1996 को तस्दीक किया गया। जिसकी अपील अपीलांट द्वारा दिनांक 19.03.2021 को इस न्यायालय में पेश की गई। अपील के साथ पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम में अपीलांट को उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.11.2020 को होना अंकित किया है लेकिन अपीलांट द्वारा यह अंकित नहीं किया गया कि उसको दिनांक 20.11.2020 से पूर्व उसके नाम दर्ज गैर खातेदारी की भूमि सिवायचक अंकित हो जाने की जानकारी 24 वर्षो तक नहीं होने का क्या कारण रहा है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा उक्त आराजी पर गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए सक्षम स्तर पर दिनांक 11.11.20 से पूर्व कोई आवेदन किया हो, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया। अपीलांट द्वारा अपने नाम दर्ज गैर खातेदारी की भूमि अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवाये जाने के लिए 24 वर्षो तक राजस्व रिकार्ड की जानकारी नहीं की गई हो, यह तथ्य स्वीकार्य नहीं है, जबकि किसानों को लगान अदायगी, विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ, फसल खराबा का मुआवजा इत्यादि राजस्व रिकार्ड के अनुसार ही प्राप्त होता है। हस्तगत अपील में अपीलांट द्वारा दिनांक 20.11.2020 से पूर्व 24 वर्ष तक अपील विषयक आराजी के राजस्व रिकार्ड की जानकारी नहीं रहने का कोई कारण नहीं बताया गया। इस कारण अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की पहले से ही जानकारी होने की धारणा की जाती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम में अपील पेश करने में हुये विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है, जबकि अपील अन्दर मियाद स्वीकार किए जाने हेतु काननून विलम्ब का विश्वसनीय एवं संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया जाना अपरिहार्य है। ऐसे में हस्तगत अपील में मियाद कन्डोन करने का कोई न्यायोचित आधार नहीं होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम अस्वीकार किया जाता है। फलस्वरूप अपील के गुणावगुणों पर बिना कोई टिप्पणी किये अपील मियाद बाहर पेश होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे ।

आदेश आज दिनांक 01.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)